

पेंशन निदेशालय ,उ.प्र .इन्दिरा भवन, लखनऊ
दूरभाष :0522-2287044, फैक्स :0522-2287080,ई -मेल :pendir@nic.in

द्वारा ई-मेल /महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,

पेंशन निदेशालय ,

उत्तरप्रदेश |

सेवा में ,

समस्त आहरण-वितरण अधिकारी,

(ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली)

उत्तरप्रदेश |

पत्रांक: पेनि /कम्प्यु /ई-पेंशन /2022

3216 दिनांक : 09/05/2022

विषय: ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली के अन्तर्गत आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के फ़ार्म को एकटीवेट किये जाने विषयक |

महोदय,

कृपया शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या -23 /2021 -सा-700-दस-2021-301(18)/2021दिनांक 30,नवम्बर 2021 एवं शासनादेश संख्या- 03/2022/आई/142690/2022/फाइल न.10-22099/1225/2020-22 दिनांक 24/02/2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | शासन स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया है कि अगले 6माह में सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कार्मिकों की संख्या के सापेक्ष DDO द्वारा एकटीवेट किये गए फॉर्म की संख्या संतोषजनक नहीं है | इस विषय में कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी 6 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कार्मिकों के मोबाइल नंबर एवं ई- मेल से सम्बंधित सूचना ई-पेंशन पोर्टल पर अपडेट करते हुए उनके फ़ार्म का एकटीवेशन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए ताकि पेंशनर द्वारा अपने से सम्बंधित व्यक्तिगत सूचना ई -पेंशन पोर्टल पर एवं तदनुसार सम्बंधित डी.डी.ओ /डीलिंग अस्सिस्टेंट द्वारा कार्मिक की सेवा एवं वेतन संबंधी डाटा समयान्तर्गत भरा जा सके | आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की दिनांक 06/05/2022 को स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	माह	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या के सापेक्ष एकटीवेट किये गए फ़ार्म की संख्या	एकटीवेट किये जाने वाले फ़ार्म की संख्या
1	मई,2022	1144	581	563

2	जून, 2022	2473	951	1522
3	जुलाई, 2022	2304	609	1695
4	अगस्त, 2022	1153	267	886
5	सितम्बर, 2022	954	164	790
6	अक्टूबर, 2022	934	43	891

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)

निदेशक

पत्रांक व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक- पेंशन कार्यालय, उत्तर प्रदेश
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक -पेंशन कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने-अपने कोषागारों से सम्बंधित आहरण-वितरण अधिकारी को अनुशीलन हेतु अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(सत्येन्द्र कुमार)

निदेशक